उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 77 - काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2014-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 (टी०सी०-2) दिनांक 19 फरवरी, 2014

विषय :- एसी०पी० विषयक आदेश सं० 835-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 08.09.2011 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 18.02.2009 तक प्रभावी की गई समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि० के समस्त कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू की गई ए०सी०पी० व्यवस्था विषयक कार्यालय ज्ञाप सं० 835-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 08.09.2011 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-(क)(1) में दिनांक 01.01.2006 से 18.02.2009 तक समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों के सन्दर्भ में, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के निमित्त निम्नाँकित प्राविधानानुसार व्यवस्था स्पष्ट की जाती है :-

(अ) 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन-बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन एक वेतन वृद्धि *(03 प्रतिशत की दर से)* अनुमन्य कराते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा, जिसके साथ प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड-वेतन अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) इसी प्रकार ऐसे मामलों में, जिनमें सम्बन्धित कार्मिक की किसी समयबद्ध वेतनमान हेतु निर्धारित अवधि से पूर्व प्रोन्नति हो जाती है तो उक्त समयबद्ध वेतनमान पाने के लिये निर्धारित अवधि पूर्ण करने पर पूर्व से आहरित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में 03 प्रतिशत की दर से एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कराते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

(स) उपर्युक्त के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2006 से 18.02.2009 के मध्य समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य/देय समयबद्ध वेतनमानों में सम्बन्धित कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान चुनने हेतु समयबद्ध वेतनमान की देयता की तिथि को अथवा अगली वेतन वृद्धि के दिनांक को *(पुनरीक्षित वेतन संरचना में माह जुलाई से)* विकल्प चुनने की सुविधा भी प्रदान की जाती हैं। सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अगली वेतन वृद्धि *(माह जुलाई)* से विकल्प चुनने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक को समयबद्ध वेतनमान की वास्तविक अनुमन्यता की तिथि को ग्रेड-वेतन में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित ग्रेड-वेतन अनुमन्य होगा एवं बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। तदुपरान्त आगामी जुलाई माह में (विकल्प की तिथि को) एक सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि समयबद्ध वेतनमान अनुमन्यता के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन वृद्धियों की गणना समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व मूल वेतन के आधार पर की जायेगी।

(क्रमशः....... 2)

(द) दिनांक 01.01.2006 से 18.02.2009 के मध्य देय/अनुमन्य होने वाले समयबद्ध वेतनमानों में उपरोक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप सम्बन्धित मामलों में पुनः वेतन निर्धारण किये जाने पर होने वाले अवशेष भुगतान की प्रक्रिया कार्यालय ज्ञाप सं० 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 एवं कार्यालय ज्ञाप सं० 835-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 08.09.2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

(य) कार्यालय ज्ञाप सं० 835-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-13 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 08.09.2011 के अन्य शेष प्राविधान यथावत् रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

अध्यक्ष

सं० 77-(I) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2014 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ / केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
6- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी-17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पा०का०लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
16- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न 103(26)/13 बैठक में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(जावेद अहमद) 19/2/14

संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)